FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज **अदालत** सहायक कलक्टर **मुकाम** बाप (फलोदी)

रामलाल पुत्र हरींगाराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत नेवा

किस्म **मुकदमा** 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 134/2025 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/06/2025	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम नेवा पटवार हल्का [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 674 रकबा 7.5271 है0 तथा खसरा नम्बर 68[illegible] रकबा 6.0703 है0 भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण [illegible] इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण [illegible] अराजी में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जवाब पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजि. एडि से करवाकर रसीदें तीन दिवस में पेश करें। पत्रावली दिनांक 18.07.25 को पेश हो। [signature] 18/6/25 सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	
18/07/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा जवाबदावा बाबत तलबी हेतु दिनांक 20/08/25 को पेश हो। [signature]	
20/08/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र वादि NOT PRESS खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वादि NOT PRESS खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] 20/8/25 (सुरजाराम [illegible], RAS)	Not Press [signature]